उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या- 31/2018/213/92-2-2018-03जॉच/2018

लखनऊ :: दिनांक:: 13 फरवरी, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सहारनपुर में अवर अभियंता के पद पर कार्यकाल के दौरान निर्माण कार्यो/शासकीय कार्यो के सम्पादन में बरती गयी कतिपय अनियमितताओं में अन्तर्ग्रस्त पाये जाने पर श्री अजय पाल सिंह, तत्का0 अवर अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सहारनपुर सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-एटा के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत आरोप पत्र देकर अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता, पश्चिमी क्षेत्र, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किये जाने तथा सम्पूर्ण कार्यवाही में विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सहारनपुर को पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच की कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 31/2018/213(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जॉच अधिकारी/ मुख्य अभियंता,(प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को शासन द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र मय साक्ष्यों सहित (दो प्रति) संलग्नकर इस आशय से प्रेषित कि जांच अधिकारी के रूप में अपने हस्ताक्षर कर अपचारी अधिकारी को तामील कराते हुये तामीली रसीद शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

3- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सहारनपुर।

4- श्री अजय पाल सिंह, सहायक अभियंता, पी0आई0यू0-एटा द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in